वक्फ समेत 11 विधेयक पेश

सत्ता पक्ष और विपक्ष में नोक-झोंक के बीच बजट सत्र समाप्त

अर्चिस मोहन

शुक्रवार को 18वीं लोक सभा का पहला बजट सत्र समाप्त हो गया। सरकार ने संसद के दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों को धन्यवाद दिया और कहा कि उनके योगदान के कारण एक भी कार्य दिवस जाया नहीं गया। 18वीं लोक सभा का बजट सत्र 22 जुलाई को शुरू हुआ था। इस दौरान सरकार ने 11 विधेयक पेश किए, जिनमें 4 लोक सभा में शुक्रवार को लाए गए। विवादास्पद वक्फ (संसोधन) विधेयक, 2024 गुरुवार को पेश हुआ था। बजट सत्र में आर्थिक समीक्षा पेश की गई और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बजट प्रस्तुत किया। संसद में विनियोग विधेयक, जम्मू कश्मीर विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक पारित हुए। लोक सभा में भारतीय वायुयान विधेयक भी पारित कराया गया।

केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रीजीजू और संसद की संयुक्त समिति संसद के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन वक्फ संशोधन विधेयक पर रिपोर्ट सौंप देंगे। लोक सभा और राज्य सभा ने अपने उन 21 और 10 सदस्यों के नामों की भी घोषणाएं कीं, जो संयुक्त समिति में नामित किए गए हैं।

वक्फ (संशोधन) विधेयक संयुक्त समिति को भेजा गया

संसदीय कार्य मंत्रालय के अनुसार लोक सभा में केंद्रीय बजट पर 27 घंटे और 19 मिनट चर्चा हुई जबकि इसके लिए 20 घंटे का समय निश्चित किया गया था। राज्य सभा में बजट पर 22 घंटे 40 मिनट तक चर्चा हुई।

'इंडिया' खेमे ने राज्य सभा सभापति जगदीप धनखड़ पर आरोप लगाया कि उन्होंने पक्षपातपूर्ण तरीके से सदन की कार्यवाही संचालित की। रीजीजू से जब धनखड़ और विपक्षी सदस्यों के बीच नोक-झोंक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि वह अध्यक्ष से जुड़े किसी विषय पर टिप्पणी नहीं कर सकते। हालांकि, उन्होंने कहा कि मामला उस हद तक नहीं पहुंचना चाहिए जहां अध्यक्ष के अधिकारों को सीधी चुनौती दी जाए।

राज्य सभा में धनखड़ ने विपक्षी दलों के आचरण की निंदा की और कहा कि विपक्ष के नेता मलिल्कार्जुन खरगे संविधान की मर्यादा भूलकर अपनी बात मनवाने के लिए अड़े रहे। राज्य सभा दोपहर में काम-काज शुरू होने से पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। सदन में दोपहर से पहले विपक्षी दलों ने जमकर नारेबाजी की।

विपक्षी दल धनखड़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सदस्य घनश्याम तिवाड़ी से पिछले सप्ताह खरगे के खिलाफ दिए उनके बयान के लिए माफी मांगने की मांग कर रहे थे। मगर सभापति ने विपक्षी दलों की यह मांग ठुकरा दी जिसके बाद वे (विपक्षी सदस्य) सदन से बाहर चले गए। धनखड़ और समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन के बीच भी तीखी बहस हुई।

बाद में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सोशल मीडिया एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित भाजपा नेताओं के खिलाफ चार नोटिस का उल्लेख किया। लोक सभा में अनुराग ठाकुर के बयान को एक्स पर डालने के लिए रमेश ने भाजपा नेताओं के खिलाफ ये नोटिस दिए। तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओ ब्रायन ने एक्स पर आंकड़ों का हवाला देकर लिखा कि मार्च-अप्रैल 2020 से यह 11वां मौका है जब सरकार ने किसी सत्र को समय से पहले ही समाप्त कर दिया है। वर्ष 2020 में कोविड महामारी फैलने के बाद बजट सत्र अपनी निर्धारित अवधि 3 अप्रैल से पहले ही 23 मार्च को स्थगित हो गया था। इन 11 में 3 सत्र महामारी के कारण छोटे रखे गए जबकि शेष एक दिन पहले समाप्त हो गए।

रेलवे बोर्ड को मिलेंगे पूर्ण अधिकार

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शुक्रवार को लोक सभा में 'रेल (संशोधन) विधेयक, 2024' पेश किया और कहा कि इसके माध्यम से रेलवे बोर्ड को पूर्ण अधिकार मिलेंगे। सदन में इस विधेयक को पेश किए जाने का विरोध करते हुए तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय ने कहा कि रेल मंत्री को ऐसे गैरजरूरी विधेयक लाने के बजाय रेल दुर्घटनाएं रोकने पर ध्यान देना चाहिए। रेल मंत्री वैष्णव ने तृणमूल कांग्रेस के सांसद पर चुटकी लेते हुए कहा, 'लगता है कि सदस्य के पास कोई काम नहीं है, इसलिए वह अनावश्यक आपत्ति लाते हैं। उनकी पार्टी को उन्हें और अधिक काम देना चाहिए।'

वैष्णव ने कहा कि भारत में जब रेलवे की शुरुआत हुई तो यह लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) की एक शाखा के रूप में काम करती थी और रेलवे के विस्तार के साथ जब एक अलग व्यवस्था की जरूरत महसूस हुई तो 1905 में रेलवे बोर्ड बनाया गया।

उन्होंने कहा कि 1989 में भारतीय रेलवे से संबंधित नया कानून आया, लेकिन एक कमी रह गई थी और रेलवे बोर्ड को वैधानिक अधिकार नहीं मिल पाए थे। रेल मंत्री ने कहा, 'इस कमी को इस विधेयक के माध्यम से पूरा किया जा रहा है। इससे रेलवे बोर्ड को पूर्ण अधिकार मिलेंगे और उसकी क्षमता बढ़ेगी।' **भाषा**

भारत ने स्पेन को हराकर कांस्य पदक जीता, ओलिम्पिक गेम्स में यह लगातार दूसरा पदक है.

Q1 FY 2025

AUM ₹46,001 mn +26% YoY Growth | PAT ₹415 mn +8% YoY Growth | NNPA 0.02%

2884 Touch Points | 21 States | 52L+ Lives Touched

AB RUKNA NAHI

NSE: PAISALO
BSE: PAISALO
www.paisalo.in

PAISALO
EASY LOAN आसान लोन

PAISALO DIGITAL LIMITED
Regd. Off: CSC, Pocket 52, Near Police Station, CR Park, New Delhi-110019
Tel: +91 11 43518888 Fax: + 91 11 43518816 Web: www.paisalo.in
CIN: L65921DL1992PLC120483

अर्थः समाजस्य न्यासः

EXTRACT OF CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2024

(₹ in Lacs except EPS)

Particulars	Quarter Ended			Year Ended
	30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	31.03.2024
	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
Total income from operations	18655.38	19529.17	13618.38	65874.61
Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary Items)	5580.26	4913.16	5204.11	24070.84
Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary Items)	5580.26	4960.76	5204.11	24118.44
Net Profit for the period after tax	4148.92	3660.87	3840.82	17897.30
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)]	4148.92	3660.87	3840.82	17897.30
Paid up Equity Share Capital (Face value of Re. 1/- per share)	8980.44	8980.44	4490.22	8980.44
Reserves excluding Revaluation Reserves (as per balance sheet of previous accounting Year)	–	–	–	123633.79
Securities Premium Account	38091.52	38091.52	38091.52	38091.52
Net worth	138197.26	133682.71	120985.89	133682.71
Outstanding Debt	277388.69	265539.69	208790.85	265539.69
Debt Equity Ratio	2.02	2.00	1.74	2.00
Earnings per Share (of Re. 1 each) (not annualised) Basic (In Rs.) : Diluted (In Rs.) :	0.46 0.46	0.79 0.79	0.86 0.86	3.87 3.87
Capital Redemption Reserve	250.00	250.00	250.00	250.00
Debenture Redemption Reserve	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
Debt Services Coverage Ratio	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable
Interest Service Coverage Ratio	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Notes:
1) The key standalone financial information of the Company is as under:

Particulars	Quarter Ended			Year Ended
	30.06.2024	31.03.2024	30.06.2023	31.03.2024
	(Unaudited)	(Audited)	(Unaudited)	(Audited)
Total income from operations	17542.32	18184.04	12173.75	60504.26
Profit before tax	5527.47	4859.45	5140.69	23853.42
Profit after tax	4109.07	3589.15	3780.35	17701.85

2) The above is an extract of the detailed format of Results filed with the Stock Exchange(s) under Regulations 33,52 & 63 of SEBI (Listing Obligations and disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the Listing Regulations), as amended from time to time. The full format of the Results are available on the website of the Company (i.e.www.paisalo.in) and on the websites of the Stock Exchange(s) (i.e. BSE-www.bseindia.com and NSE-www.nseindia.com).
3) For the other line items referred in Regulation 52(4) of the Listing Regulations, pertinent disclosures have been made to the Stock Exchange(s) (i.e. BSE-www.bseindia.com and NSE-www.nseindia.com) and can be accessed on the website of the Company (i.e. www.paisalo.in).
4) Figures for the quarter ended 31st March, 2024 are the balancing figures for the full financial year ended 31st March, 2024 and the published year to date figures upto the third quarter of the respective financial years.

Place : New Delhi
Date : 09.08.2024

For and on behalf of Board of Directors
Sd/-
(SUNIL AGARWAL)
Managing Director

SMALL INCOME GENERATION | ASSET BACKED | MSME & SME | BUSINESS CORESPONDENT

NSE: PAISALO BSE: PAISALO www.paisalo.in FOLLOW US:

17 माह बाद जेल से छूटे सिसोदिया

भाविनी मिश्रा

उच्चतम न्यायालय ने आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और धनशोधन के मामलों में आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को जमानत दे दी। अदालत ने सीबीआई और ईडी दोनों ही मामलों में मुकदमे की सुनवाई शुरू होने में देर को जमानत का आधार बनाया। सिसोदिया 17 महीने बाद जेल से रिहा हुए हैं।

शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा, 'अपील मंजूर की जाती है।' दिल्ली उच्च न्यायालय का फैसला खारिज किया जाता है। सिसोदिया को ईडी और सीबीआई मामलों में जमानत दी जाती है।' अधीनस्थ न्यायालयों की आलोचना करते हुए शीर्ष न्यायमूर्ति बी. आर. गवई और न्यायमूर्ति के. वी. विश्वनाथन के पीठ ने अपने निर्णय में कहा, 'मामले की सुनवाई शुरू हुए बिना लंबे समय तक जेल में रखे जाने से वह शीघ्र सुनवाई के अधिकार से वंचित हुए हैं। अब समय आ गया है कि निचली अदालतें और उच्च न्यायालय इस सिद्धांत को स्वीकार करें कि जमानत एक नियम है और जेल एक अपवाद है। न्यायाधीशों ने कहा कि मुकदमे के शीघ्र पूरा होने की संभावना के तहत सिसोदिया को असीमित समय तक जेल में रखना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत स्वतंत्रता के उनके मौलिक अधिकार का हनन होगा।

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री सिसोदिया को दिल्ली आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार व धनशोधन मामलों में सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों ने गिरफ्तार किया था। दोनों मामलों में शीर्ष अदालत की तरफ से जमानत मिलने पर 10 लाख रुपये के जमानती बॉन्ड और इतनी ही धनराशि के दो निजी मुचलके भरने के बाद वह रिहा हुए।

न्यायाधीशों ने जमानत की शर्तें तय करते हुए कहा कि उन्हें अपना पासपोर्ट विशेष अधीनस्थ न्यायालय में जमा कराना होगा। इसके अलावा वह न तो किसी गवाह को प्रभावित करने का प्रयास करेंगे और न ही सबूतों से छेड़छाड़ करेंगे। साथ ही उन्हें प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को पूर्वाह्न 10 से 11 बजे के बीच जांच अधिकारी के समक्ष पेश होना होगा।

पीठ ने कहा, 'इस अदालत का मानना है कि शीघ्र सुनवाई का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार पवित्र अधिकार हैं। इन अधिकारों से इनकार करते समय, निचली अदालतों के साथ-साथ उच्च न्यायालय को भी इस बात को उचित महत्व देना चाहिए था।' पीठ ने पिछले निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि समय के साथ न्यायालय ने पाया कि निचली अदालतें और उच्च न्यायालय कानून के एक बहुत ही स्थापित सिद्धांत को भूल गए हैं कि सजा के तौर पर जमानत नहीं रोकी जानी चाहिए।

मनीष सिसोदिया अभी मंत्री नहीं बनाए जा सकते। इसमें तकनीकी पेंच यह है कि आबकारी नीति मामले में ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी जेल में बंद हैं। जब तक केजरीवाल जेल में रहेंगे तब तक न तो कोई मंत्री बनाया जा सकता है और न ही उपमुख्यमंत्री।

लोकतंत्र की शक्ति के कारण मिली जमानतः सिसोदिया

आप के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया ने 17 महीने तक सलाखों के पीछे रहने के बाद शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आने पर कहा कि संविधान और लोकतंत्र की शक्ति के कारण उन्हें जमानत मिली तथा यही शक्ति दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की रिहाई सुनिश्चित करेगी। मरून रंग की कमीज पहने सिसोदिया जैसे ही तिहाड़ जेल से बाहर आए पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने 'केजरीवाल, केजरीवाल' के नारों से उनका स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने उन पर गुलाब की पंखुड़ियां बरसाईं।

(साथ में एजेंसियां)

जया ने सभापति के लहजे पर जताई आपत्ति

राज्य सभा में शुक्रवार को समाजवादी पार्टी की सदस्य जया बच्चन ने सभापति जगदीप धनखड़ के बोलने के लहजे पर आपत्ति जताई जिसके बाद दोनों के बीच नोंकझोंक हो गई। सदन में जया अपनी बात रखना चाहती थीं। धनखड़ ने उन्हें अनुमति देते हुए कहा 'जया अमिताभ बच्चन अपनी बात रखें।' जया ने कहा 'मैं जया अमिताभ बच्चन यह बोलना चाहती हूं, मैं कलाकार हूं, बॉडी लैंग्वेज समझती हूं, एक्सप्रेशन (भाव भंगिमा) समझती हूं। और महोदय, मुझे माफ कीजिएगा। मगर आपका टोन जो है, यह स्वीकार्य नहीं, हम सहयोगी हैं, आप आसन पर हो सकते हैं, और मुझे याद है अपने स्कूल के।' जया अपनी बात पूरी नहीं कर पाईं और सभापति ने उन्हें बैठने के लिए कहा।

सभापति ने कहा, 'जया जी, आपने बहुत ख्याति हासिल की है। आप जानती हैं कि कलाकार निर्देशक के अनुसार काम करता है। आप वह नहीं देखतीं जो मैं यहां से देखता हूं। हर दिन, मैं दोहराना नहीं चाहता। मैं स्कूलिंग नहीं चाहता। मैं वह व्यक्ति हूं जो 'आउट ऑफ द वे' गया। और आप कहती हैं कि मेरी टोन।' इसी बीच जया ने कुछ कहना चाहा। सभापति ने उन्हें रोकते हुए तल्ख लहजे में कहा, 'बहुत हो गया। आप कोई भी हों, आप भले ही सेलेब्रिटी हों, आपको शिष्टाचार समझना होगा।' **भाषा**

जम्मू-कश्मीर में तय समय पर होंगे चुनावः आयोग

अर्चिस मोहन

मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने शुक्रवार को कहा कि चुनाव आयोग जम्मू-कश्मीर में विधान सभा चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है। जितनी जल्दी हो सकेगा, राज्य में चुनाव अवश्य कराए जाएंगे। आतंकी हमलों, हिंसा और किसी भी तरह केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव नहीं चाहने वाले तत्वों की वजह से आयोग अपने कार्यक्रम में कोई बदलाव नहीं करेगा। जम्मू में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कुमार ने कहा कि आयोग बाहरी या आंतरिक ताकतों को चुनाव प्रक्रिया को पटरी से उतारने की इजाजत नहीं देगा।

उन्होंने कहा कि प्रशासन सुरक्षा संबंधी चुनौतियों से निपटने में पूरी तरह सक्षम है और केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव कराने का यह सबसे अच्छा समय है, क्योंकि बीते दिनों हुए लोक सभा चुनाव शांतिपूर्वक संपन्न होने की प्रक्रिया को आयोग आगे बढ़ाना चाहता है, जिसमें रिकॉर्ड मतदान हुआ था।

चुनावी तैयारियों का जायजा लेने के लिए कुमार समेत तीनों निर्वाचन आयुक्त तीन दिनी दौरे पर जम्मू-कश्मीर गए थे। इसके पहले वर्ष 2014 में तत्कालीन संयुक्त राज्य में विधान सभा चुनाव हुए थे। उच्चतम न्यायालय द्वारा राज्य में 30 सितंबर 2024 तक विधान सभा चुनाव प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश के संबंध में पूछे गए सवाल पर कुमार ने कहा कि आयोग तय समय पर चुनाव कराएगा।

निर्वाचन अधिकारियों ने कहा कि वर्ष 2018 में विधान सभा भंग होने के बाद राज्य में 2019 में विधान सभा चुनाव होने थे। हालांकि 5 अगस्त 2019 को राज्य को दो भागों में बांटकर लद्दाख और जम्मू-कश्मीर को दो अलग-अलग केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित करने के कारण वहां विधान सभा चुनाव नहीं कराए जा सके, क्योंकि परिसीमन की प्रक्रिया अधूरी थी। राज्य में परिसीमन 2022 में पूरा हुआ और उसके बाद उसे जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन कानून के पास होने का इंतजार करना पड़ा, जो दिसंबर 2023 में अमल में आया। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने कहा कि दिल्ली पहुंच कर सुरक्षा आकलन पूरा करने और फिर 20 अगस्त को अंतिम मतदाता सूची जारी होने के बाद वह राज्य में विधान सभा चुनाव का पूरा कार्यक्रम घोषित कर देंगे।

निर्वाचन आयोग ने जम्मू-कश्मीर में मतदाताओं की संख्या से संबंधित आंकड़ा भी जारी किया, जिसके अनुसार राज्य में 87 लाख से अधिक मतदाता हैं। इनमें 76,902 ऐसे युवा मतदाता हैं, जो पहली बार वोट डालेंगे। शांतिपूर्वक और व्यवस्थित ढंग से चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए पूरे राज्य में 11,838 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे।

insecticides (INDIA) LIMITED
TRACTOR BRAND IIL

पंजीकृत कार्यालयः 401-402, लूसा टावर, आज़ादपुर कमर्शियल कॉम्प्लैक्स, दिल्ली-110 033; टेलीफैक्सः 011-27679700-05
वेबसाइटः www.insecticidesindia.com, इमेलः investor@insecticidesindia.com, CIN: L65991DL1996PLC083909

30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का निष्कर्ष

(₹ लाख में, ईपीएस के अतिरिक्त)

क्र. सं.	विवरण	एकल				समेकित			
		तिमाही की समाप्ति			वार्षिक समाप्ति	तिमाही की समाप्ति			वार्षिक समाप्ति
		30-6-2024 (अलेखापरीक्षित)	31-3-2024 (लेखापरीक्षित)	30-6-2023 (अलेखापरीक्षित)	31-3-2024 (लेखापरीक्षित)	30-6-2024 (अलेखापरीक्षित)	31-3-2024 (लेखापरीक्षित)	30-06-2023 (अलेखापरीक्षित)	31-3-2024 (लेखापरीक्षित)
1	परिचालन से कुल आय	65,922.41	27,706.03	64,384.07	1,97,589.22	65,920.06	27,703.69	64,384.07	1,97,585.32
2	कर अदायगी के पूर्व शुद्ध लाभ	6,561.34	415.04	3,948.92	13,257.99	6,543.16	376.71	3,959.96	13,219.16
3	कर अदायगी के पश्चात शुद्ध लाभ	4,913.59	807.92	2,903.11	10,262.55	4,901.48	776.36	2,914.15	10,236.52
4	अवधि के दौरान कुल समेकित आय [कर पश्चात लाभ व कर पश्चात अन्य आय सहित]	4,745.16	935.59	3,053.70	10,429.49	4,729.81	913.41	3,064.05	10,412.32
5	पेड–अप इक्विटी शेयर पूँजी (वास्तविक मूल्य ₹10/- प्रति शेयर)	2,959.78	2,959.78	2,959.78	2,959.78	2,959.78	2,959.78	2,959.78	2,959.78
6	पिछले वित्तीय वर्ष के तुलना पत्र में प्रदर्शित लेखापरीक्षित आरक्षित निधि (पुनर्मूल्यांकन निधि के अतिरिक्त)	-	-	-	98,150.64	-	-	-	98,393.58
7	प्रति शेयर आय (वास्तविक मूल्य ₹10/- प्रति शेयर)								
	आधारभूत	16.60	2.73	9.81	34.67	16.56	2.62	9.85	34.59
	मिश्रित	16.60	2.73	9.81	34.67	16.56	2.62	9.85	34.59

नोटः
a) उपरोक्त अवतरण, सेबी (सूचीकरण बाध्यता और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज में 30 जून, 2024 को समाप्त तिमाही का अलेखापरीक्षित एकल और समेकित वित्तीय परिणामों का सार है। एकल और समेकित वित्तीय परिणाम और व्याख्यात्मक टिप्पणियों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट www.bseindia.com, www.nseindia.com और कंपनी की वेबसाइट www.insecticidesindia.com पर उपलब्ध है।
b) उपरोक्त वित्तीय परिणाम भारतीय लेखा मानक (इंड एएस), कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") के प्रावधानों के अनुसार तैयार किए गए हैं, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") के द्वारा लागू दिशानिर्देशों के अनुसार है। इंड एएस कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के नियम 3 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 और उसके बाद के संशोधनों के तहत निर्धारित हैं।

स्थानः दिल्ली
दिनांकः 09/08/2024

निदेशक मण्डल के आदेशानुसार
इन्सेक्टिसाइड्स (इंडिया) लिमिटेड
ह–
(राजेश कुमार अग्रवाल)
प्रबंध निदेशक
DIN-00576872